समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

अमेरिका मे स्टील-एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ आज से लागू, ट्रंप के फैसले से भारत को बड़ा झटका, UK को छूट।

Publisher

Published on 04 Jun 2025

“ट्रंप ने बढ़ाया स्टील और एल्युमिनियम पर आयात शुल्क, भारत के एक्सपोर्ट को लग सकता है तगड़ा झटका”.

वॉशिंगटन/नई दिल्ली, 4 जून 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति **डोनाल्ड ट्रंप** ने **स्टील** और **एल्युमिनियम** पर आयात शुल्क को **50 प्रतिशत** कर दिया है, जो कि पहले 25 प्रतिशत था। यह फैसला **बुधवार से लागू** हो गया है और इसका सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ने वाला है।

ट्रंप प्रशासन ने इस टैरिफ को “**अमेरिकी उद्योग की रक्षा**” के लिए जरूरी कदम बताया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक, यह फैसला ट्रेड **एक्सपैशंन एक्ट 1962 की धारा 232** के तहत लिया गया है।

अमेरिका ने ब्रिटेन को दी राहत

दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन को इस फैसले से बाहर रखा गया है। ट्रंप प्रशासन के अनुसार, **यूके** और **अमेरिका** के बीच पहले से मौजूद व्यापार समझौते के तहत टैरिफ और कोटा पहले ही तय हो चुके हैं। इसलिए ब्रिटेन के लिए 25 प्रतिशत टैरिफ ही लागू रहेगा।

भारत को होगा बड़ा आर्थिक नुकसान

इस फैसले का भारत पर बड़ा आर्थिक असर होगा। पिछले वर्ष भारत ने अमेरिका को लगभग **4.56 अरब डॉलर** मूल्य का **स्टील** और **एल्युमिनियम** निर्यात किया था।

अब अमेरिकी बाजार में भारतीय स्टील महंगा हो जाएगा, जिससे भारत के स्टील और एल्युमिनियम उद्योग को झटका लग सकता है। अमेरिकी कंपनियां अब भारतीय उत्पादों के बजाय स्थानीय या अन्य कम शुल्क वाले देशों से माल खरीदना पसंद कर सकती हैं।

भारत ने WTO को दी सूचना, जवाबी टैरिफ की तैयारी

भारत सरकार भी **ट्रंप सरकार** के इस फैसले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है। **भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO)** को सूचित किया है कि वह अमेरिका से आयातित उत्पादों पर **उत्तरदायी शुल्क (retaliatory tariffs)** लगाने की योजना बना रहा है।

हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कब से ये जवाबी शुल्क लागू होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि भारत जल्द ही इसका ऐलान कर सकता है।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.